न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 34/2018 एफ एस एस एक्ट

1. सरकार जरिये जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा, जिला दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री मनीष रावत पुत्र श्री गिर्राज प्रसाद रावत मैसर्स आदित्य ट्रेडर्स, बांदीकुई रोड, सिकन्दरा चौराहा, सिकराय जिला दौसा। निवासी पुलिस थाने के पीछे, बांदीकुई, जिला दौसा विक्रेता।
2. श्री प्रकाश अग्रवाल पुत्र श्री मदन लाल अग्रवाल मैसर्स बंसल सेल्स कॉर्पोरेशन 3/4 सिंघल भवन, खेतडी हाउस, आउट साईड चांदपोल, जयपुर विक्रेता।
3. **Sh. Hastimal C. Solanki s/o Chimanaramji Solanki, Flat No. 501, Amast CHS Ltd. Plot No. 80 Sector 29, Vashi New Mumbai-400703 Director M/S Solanki Tea Company PVT. Ltd. L-29 A.P.M.C. Market-1 Phase-2 Turbhe, Vashi, Navi Mumbai, Navi Mumbai Municipal Corporation (Thane Zone-4) (Maharashtra) 400705** निर्माता पार्टनर।
4. **Smt. Santosh H. Solanki w/o Hastimal C. Solanki, Flat No. 501, Amast CHS Ltd. Plot No. 80 Sector 29 Vashi, New Mumbai-400703 Director M/S Solanki Tea Company pvt. Ltd. L-29 A.P.M.C. Market-1 Phase-2 Turbhe, Vashi Navi Mumbai, Navi Mumbai Municipal Corporation (Thane Zone-4) (Maharashtra) 400705** निर्माता पार्टनर।

— अभियुक्तगण—

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री जयसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी सं0 1 स्वयं उपस्थित।
: प्रतिनिधि अप्रार्थी सं0 3 व 4 उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः—20.02.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तिया प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 637 दिनांक 13.8.2014 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 779 दिनांक 18.9.2014 के द्वारा आवेदक को कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवंटित किया गया है और दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवेदक के कार्य क्षेत्र में आते है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 23.02.2018 को दोपहर बाद 04:15 बजे मैसर्स आदित्य ट्रेडर्स, बांदीकुई रोड, सिकन्दरा चौराहा, सिकराय जिला दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री मनीष रावत पुत्र श्री गिर्राज प्रसाद रावत उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का विक्रेता होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स न होना जाहिर किया।

निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान पर 40 मूल पॉली पैक 250 ग्राम वजन में पैक चाय (सोलंकी आसाम रॉयल) आम जनता को बेचने हेतु रखी हुई थी, में मिलावट का शक

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

होने पर 250 ग्राम के 8 मूल पॉली पैक नमूने की जांच हेतु खरीदे। जिसकी कीमत 560 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व (विक्रेता) एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को खरीदशुदा चाय (सोलंकी आसाम रॉयल) को 2–2 पॉली पैक पर चिपकाकर अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर किनारो को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाकर डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.–1872 उपर से नीचे पूरे राउंड में गोंद से चिपकाकर एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर चार–चार जगह से उपर नीचे दोनो साइडों में चपडी से सील मोहर कर एफ.बी.ओ. (विकेता) के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व खाकी कागज पर आये व गवाहान व स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द पैकिटो को अपने कब्जे में लिया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विकेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की जो संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विकेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जो संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने का एक सीलबंद पैकिट एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद पैकिट व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च0श्रे0क0 मुख्यालय द्वारा दिनांक 26.02.2018 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहां जमा करवाये ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नमूने के दो सील बन्द पैकिट व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 26.02.2018 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद पैकिट व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 27.02.2018 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ संयुक्त चाय (सोलंकी आसाम रॉयल) के नमूने की जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./437/एक्ट/2018/532 दिनांक 22.03.2018 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ चाय (सोलंकी आसाम रॉयल) का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया है।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस सुनी गई। अप्रार्थी अभियुक्त सं0 1, 3 व 4 की और से जवाब प्रस्तुत किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ चाय (सोलंकी आसाम रॉयल) के लेबल पर **"Best before within 12 months from date of packaging"** के स्थान पर **"BEST BEFORE 12 MONTHS FROM PACKAGING"** प्रिन्ट होना चाहिये था। इस कारण उक्त खाद्य पदार्थ मिसब्राण्ड पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त सं0 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे द्वारा कम्पनी पैकिंग

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सामान ही बेचा व खरीदा जाता है। इसमे मेरे द्वारा कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इसके लिये निर्माता कम्पनी ही जिम्मेदार है। मुझे शास्ति से मुक्त करने की कृपा करे। अप्रार्थी अभियुक्त सं0 3 व 4 की और से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि कम्पनी द्वारा मिसब्राण्ड की गलती को ठीक करवा दिया गया है। श्रीमान जी से निवेदन है कि कानून की जानकारी के अभाव में हुई गलती के लिये कम से कम शास्ति लगाने का श्रम करे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./437/एक्ट/2018/532 दिनांक 22.03.2018 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ चाय (सोलंकी आसाम रॉयल) का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया है। जो एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ चाय (सोलंकी आसाम रॉयल) मिसब्राण्ड का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त सं0 3 **Sh. Hastimal C. Solanki s/o Chimanaramji Solanki, Flat No. 501, Amast CHS Ltd. Plot No. 80 Sector 29 Vashi New Mumbai-400703 Director M/S Solanki Tea Company pvt. Ltd. L-29 A.P.M.C. Market-1 Phase-2 Turbhe, Vashi Navi Mumbai, Navi Mumbai Municipal Corporation (Thane Zone-4) (Maharashtra) 400705** निर्माता पार्टनर एवं अप्रार्थी अभियुक्त सं0 4 **Smt. Santosh H. Solanki w/o Hastimal C. Solanki, Flat No. 501, Amast CHS Ltd. Plot No. 80 Sector 29 Vashi New Mumbai-400703 Director M/S Solanki Tea Company pvt. Ltd. L-29 A.P.M.C. Market-1 Phase-2 Turbhe, Vashi Navi Mumbai, Navi Mumbai Municipal Corporation (Thane Zone-4) (Maharashtra) 400705** निर्माता पार्टनर पर 7000/-(अक्षरे सात हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 20.02.2019 के एक माह के अन्दर-अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 20.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

क्रमांक/ 432-37
दिनांकः- 20.02.2019

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री मनीष रावत पुत्र श्री गिर्राज प्रसाद रावत मैसर्स आदित्य ट्रेडर्स, बांदीकुई रोड, सिकन्दरा चौराहा सिकराय जिला दौसा, निवासी पुलिस थाने के पीछे, बांदीकुई, जिला दौसा विक्रेता।
4. श्री प्रकाश अग्रवाल पुत्र श्री मदन लाल अग्रवाल मैसर्स बंसल सेल्स कॉर्पोरेशन 3/4 सिंघल भवन, खेतडी हाउस, आउट साईड चांदपोल, जयपुर विक्रेता।
5. **Sh. Hastimal C. Solanki s/o Chimanaramji Solanki, Flat No. 501, Amast CHS Ltd. Plot No. 80 Sector 29 Vashi New Mumbai-400703 Director M/S Solanki Tea Company pvt. Ltd. L-29 A.P.M.C. Market-1 Phase-2 Turbhe, Vashi Navi Mumbai, Navi Mumbai Municipal Corporation (Thane Zone-4) (Maharashtra) 400705** निर्माता पार्टनर।
6. **Smt. Santosh H. Solanki w/o Hastimal C. Solanki, Flat No. 501, Amast CHS Ltd. Plot No. 80 Sector 29 Vashi New Mumbai-400703 Director M/S Solanki Tea Company pvt. Ltd. L-29 A.P.M.C. Market-1 Phase-2 Turbhe, Vashi Navi Mumbai, Navi Mumbai Municipal Corporation (Thane Zone-4) (Maharashtra) 400705** निर्माता पार्टनर।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official